संख्या-8/2015/3626/71-2-14-के0जी0एम0यू0-27/2014

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2015**

विषयः- वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवदेन भाग-1 में राजकीय विभागों के आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) संवर्ग के सन्दर्भ में की गई संस्तुतियों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डायटीशियन संवर्ग पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के डायटीशियन के पदों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2040/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 17 अगस्त, 2010 में लिये गये निर्णयों तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 मे लिये गये निर्णयों जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0 लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो पर राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महोदय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के डायटीशियन संवर्ग के पदों पर निम्नानुसार शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) के पदों पर भारत सरकार के आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) ग्रेड-3 के समान न्यूनतम अर्हता निर्धारित की जायः-
   i. विज्ञान (गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र) या विज्ञान निष्णात (खाद्य एवं पोषण) में स्नातक।
   ii. आहारिकी एव जनस्वास्थ्य पोषण में एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं 03 मास की प्रशिक्षुता।
   iii. किसी मान्यता प्राप्त अस्पाताल में एक वर्ष का अनुभव।
2. इस हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथावश्यक संशोधन तत्परता से कर लिया जाय।
3. उपर्युक्तानुसार शैक्षिक अर्हता का निर्धारण करने की तिथि से आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) के पदों पर भारत सरकार के आहार विशेषज्ञ (डायटीशियन) ग्रेड-3 के समान वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) ग्रेड वेतन रू0 4200/- स्वीकृत किया जाय।
4. शक्षिक अर्हता में संशोधन होने तक डायटीशियन के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4500-7000 (01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 (रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/-) को यथावत बनाया रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त संशोधित वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 दिनांक 29 जून, 2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-993/दस-2014, दिनांक 02 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या-8/2015/3626(1)/71-2-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-4
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।